

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
दीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

मिसल नम्बर

06/2014/प्रा.पत्र/2014

तारीख दायरा

11.09.2014

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

04.09.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन जाति महाजन निवासी सबील शाह की चौकी के पास कोटा रोड टोंक प्रोपरायटर मैसर्स जैन एन्टरप्राइजेज सबील शाह की चौकी के पास कोटा रोड टोंक राज.
- 2-मैसर्स जैन एन्टरप्राइजेज सबील शाह की चौकी के पास कोटा रोड टोंक राज.
- 3-श्री शैलेन्द्र काकरिया प्रोपरायटर मैसर्स तिरूपति उद्योग 49 सी इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जिला जयपुर राज.
- 4-मैसर्स तिरूपति उद्योग 49 सी इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जिला जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम जैन उप.

:-निर्णय:-

दिनांक 04.09.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.03.2014 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स जैन एन्टरप्राइजेज सबील शाह की चौकी के पास कोटा रोड टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के 7 कार्टूनों में 112 बोतल 1 लीटर पैक में रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन ब्राण्ड) रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मुकेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्तु सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन



2041

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर टीयू/18 एवं पैकिंग की दिनांक 18.02.2014 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर के 4 बॉतल खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन ब्राण्ड) के 1-1 बॉतल वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-681 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-681 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ: प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स तिरूपति उद्योग 49 सी इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जिला जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/1189 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /41/एफएसएसए/2014/45 दिनांक 14.03.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः उक्त प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन ब्राण्ड) विक्रय कर रहे थे वह



जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया रिफाईंड सोयाबीन तेल (पवन ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)  
न्यायिक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त टोंक मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0